

313

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 2004-2005

उपाध्यक्ष/सचिव  
विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

संख्या 14(5)

03-5-2006

(के.डी.)

38

29/11

312

विदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, सह-स्टेट इन्टरनल आडिट उत्तरांचल देहरादून ।  
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, देहरादून)  
सम्परीक्षा आख्या:- भाग- प्रथम

लेखे का नाम:-  
सम्परीक्षा अवधि:-  
प्रशासन:-

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार  
वर्ष 2004-2005

आलोच्य अवधि संस्था का प्रशासन निम्नलिखित में निहित था।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	प्राधिकरण में पदनाम	कार्यकाल
	श्री उत्पल कुमार सिंह आई०ए०एस०	उपाध्यक्ष	1 अप्रैल, 2004 से 19.6.2004
	श्री नवीन चन्द्र शर्मा, आई०ए०एस०	तदैव	19.6.2004 से 3.3.2005
	श्री सुन्दर लाल जुवाल, आई०ए०एस०	तदैव	3.3.2005 से 31.3.2005
	श्री रमाशंकर पी०सी०एस०	सचिव	1.4.2004 से 11.8.2004
	श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी, पी०सी०एस०	सचिव	20.11.2004 से 22.1.2005
	श्री डी० सेन्धिल पाण्डियाल, आई०ए०एस०	सचिव	22.1.2005 से 31.3.2005
	श्री प्रदीप कुमार गोयल	लेखाधिकारी	1.4.2004 से 31.3.2005

कैत:- 8-3-2005 से 31-3-2005 तक सचिव पद का कार्य उपाध्यक्ष एवं लेखाधिकारी में हित रहा ।

सम्परीक्षा का स्वरूप:- उप लेखा परीक्षा ।

अनिस्तारित सम्परीक्षा आपत्तियों का विवरण:-

सम्परीक्षा अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनिस्तारित अनुच्छेद	आपत्ति पत्रावली के पद	वर्ष वार अनिस्तारित आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4
93-94	12, 14, 15, 18, 19, 20	---	6
94-95	21	---	1
95-96	1 (क)(ख)(1)(2)(3)(ग)	---	5
96-97	1 (क)(ख)(1)(2)	---	3
97-98	1 (क) 7 टिप्पणी	---	2

लेखाग 103

28/5/06  
28/5/06  
28/5/06

1. बिन्दु के अन्तर्गत उप से गणना है परन्तु कुछ बिन्दु आख्या में हैं।  
2. बिन्दु के अन्तर्गत से गणना है जो कि सचिव का कार्य नहीं है।

(2)

1998-99	1 (1)(2)(4)(5)(6)(7)(8) 9 14,15	1,2,7,8,10,11,12
1999-2000	1 (1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12) (14)(15) 3 टिप्पणी (1)(2)(3)(4)(5) 4 टिप्पणी 5 टिप्पणी (1)(2)(3) 6 टिप्पणी (1)(2)(3) 7,8	---
2000-2001	1 (1)(2)(3)(4)(5)(6) 2(क) 3 टिप्पणी (1) (2)(3)(4)(5) 4 टिप्पणी, (1)(2)(3)(4) 5,8	---
2001-2002	1 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 10(1)(11)(111)(N) 2(1)(2)(3)(4) 3 टिप्पणी (1)(2)(3) 4 टिप्पणी (1)(2) 5,6,7	1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,
2002-2003	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)( 13)(14)(15) 3 टि० (1)(2)(3)(4)(5) 4 टि० (1)(2) (3),6,8	1,5,7,9,10,11, 12,13,14
2003-2004	अप्राप्त	---

उपर्युक्त अनिस्तारित सम्परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन सुनिश्चित किया

दिनांक 01-3-2006

स्थान:- देहरादून

अनन्त प्रसाद श्रीवास्तव

वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड प्रथम

निर्गमनार्थ प्राप्ति

वरिष्ठ लेखा परीक्षक,  
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग

सहायक निदेशक,  
कोषागार एवं वित्त  
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा  
देहरादून, उत्तरांचल

(3)

311 (29/10)

39

विदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, सह-स्टेट इन्टरनल आडिट उत्तरांचल देहरादून ।  
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, देहरादून)  
सम्परीक्षा आख्या:- भाग- दो(अ)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार  
वर्ष 2004-2005

व्यय का नाम:-  
व्यय के उल्लेखनीय प्रकरण:-

व्यय के उल्लेखनीय प्रकरण:-	
व्यय के प्रकरण ।	शून्य
दुविनियोग के प्रकरण ।	शून्य
अनानुमोदित व्यय के प्रकरण ।	शून्य
अधिक/अनियमित/एवं परिहार्य व्यय ।	शून्य
अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें ।	शून्य
राजस्व की क्षति एवं आय की हानि से सम्बन्धित प्रकरण ।	शून्य
अधिभार के प्रकरण ।	शून्य
आय-व्यय / आवटन अनुदानों के उपभोग में पायी गयी गम्भीर प्रकरण ।	शून्य
अनावर्तक/आवर्तक अनुदानों के उपभोग में पायी गयी गम्भीर अनियमिततायें ।	शून्य
अन्य विविध प्रकृति की गम्भीर अनियमिततायें ।	शून्य

दिनांक 01-3-2006

स्थान:- देहरादून

मन्त प्रसाद श्रीवास्तव

परिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड प्रथम

निर्माणार्थ प्राधिकृत

l

वित्त लेखा परीक्षक,  
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग

सहायक निदेशक,  
कोषागार एवं वित्त सेवार्यें,  
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग,  
देहरादून, उत्तरांचल ।

क्रमश:- 4

सा 10/

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह-स्टेट इन्टरनल आडिट उत्तरांचल  
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, देहरादून)  
सम्परीक्षा आख्या:- भाग- दो(ब)

लेख का नाम:-

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार

सम्परीक्षा अवधि:-

वर्ष 2004-2005

सम्परीक्षा तिथि:-

वर्तमान सम्परीक्षा दिनांक 30 सितम्बर, 2005 को  
दिनांक 31 जनवरी, 2006 को समाप्त हुई ।

लेख के उल्लेखनीय गम्भीर प्रकरण:-

(1) अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण हरिद्वार को भुगतान रू० 3850892-00-

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि पुर्नवास योजना बी०एच०  
विद्युत कार्य हेतु दिनांक 22-11-2004 को किये अनुबन्ध के क्रम में देय धनराशि  
का भुगतान चेक संख्या 439204 दिनांक 29-11-2004 द्वारा रूपयें 3080714-00  
घनराशि रू० 770178-00 दिनांक 29-12-2004 चेक संख्या 439224 के माध्यम  
गया था इस प्रकार से प्राधिकरण कोष कुल रू० 3850892-00 का माध्यम  
फलस्वरूप भी अभी भी कार्य को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था । भुगतान  
ध्यान में रखते हुए इस कार्य अविलम्ब अन्तिम दिये जाने हेतु प्राधिकरण प्रशासन  
विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।

(2) श्री निखिल वर्मा को पुर्नवास योजना के अन्तर्गत रूपयें 368795-00 का भुगतान

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि पुर्नवास योजना के अन्तर्गत  
वाले कार्य जिसमें लेवनिंग का कार्य था रू० 3800365-00 अनुमानित व्यय  
तैयार किया गया था । जिसमें आमंत्रित की गई निविदाओं में श्री निखिल वर्मा  
अनुमानित प्राकलन की धनराशि से 35.5% कम पर स्वीकार करते हुए कार्य  
किये गये थे अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 27-9-2004 एवं कार्य  
तिथि 27 जनवरी, 2005 थी ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल के अनुसार रू०  
दिनांक 27-10-2004 द्वारा भुगतान किया गया । अनुमानित प्राकलन एवं स्वीकार  
के 35.5% कम पर अनुबन्ध की धनराशि रू० 2451235-00 देय थी किन्तु  
कार्य पूरा किये हुए श्री वर्मा रू० 1863795-00 का भुगतान किया जा चुका था  
सापेक्ष कितने प्रतिशत अवशेष था इसका आंकलन नहीं किया गया था सम्परीक्षा  
पत्रावली से यह भी प्रकाश में आया कि अधिकतर आवासित परिवारों द्वारा स्वीकार  
नहीं किया जा रहा था इस सम्बन्ध में कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक  
जाय तथा अपूर्ण कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराये जाने हेतु प्राधिकरण प्रशासन  
ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।

प्रकाशन पर नियंत्रण न रखा जाना:- सम्परीक्षा के समय देखा गया कि दिनांक 7-10-2004 को मिडिया लिंकर्स अमर उजाला एवं दैनिक प्रकाशन एवं योजना प्रकाशन पर क्रमशः रूपयें 35820-00 एवं भुगतान किया गया था प्रकाशन के सन्दर्भ में इस सम्बन्ध में आदेश नहीं किया गया था कि कितने प्वाइन्ट में प्रकाशन किया जाना है अतः प्रकाशन कितने प्वाइन्ट में जाय सम्बन्धित समाचार पत्र पर निर्भर था । यह उचित नहीं था ।

श्री आनन्द कुमार ठेकेदार को भुगतान रू० 7781-00:-

श्री आनन्द कुमार ठेकेदार को भुगतान रू० 7781-00 दिनांक 10-2004 द्वारा श्री आनन्द कुमार को भुगतान किया गया था । पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि कार्य आदेश में किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे । कार्य आदेश की पूर्ति के भुगतान का आधार स्पष्ट किया जाये ।

श्री इमरान खान को भुगतान रूपयें 43709-00:- रोकड़बही दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 श्री इमरान खान को वार्ड नम्बर 11 ज्वालापुर में श्री इरफान वाली गली में सी०सी० के निर्माण में सामग्री आपूर्ति किये जाने में रू० 43709-00 का भुगतान किया गया था । पत्रावली के अवलोकन से प्रकाश में आया कि कार्यालय आदेश संख्या 5/बि०नि०/मण्डीकुआ/2002 दिनांक 23-3-2002 निर्गत आपूर्ति के सापेक्ष श्री इमरान खान निम्न प्रकार से आपूर्ति दी गई थी ।

सामग्री प्राधिकरण को आपूर्ति की जाने वाली			सामग्री ठेकेदार द्वारा आपूर्ति	
सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	मात्रा	धनराशि
फाइन सैण्ड	1,00घ०मी०	150-00	शून्य	—
कोर्स सैण्ड	20,00 -'-	300-00	13,8	4140-00
स्टोन वैलास्ट(20एम०एम०)	0,50घ०मी०	341-00	27,50	9377-50
स्टोन वैलास्ट(40एम०एम०)	4,00 -'-	270-00	शून्य	—
सीमेन्ट ओ०पी०सी०-43 ग्रेड	290 बैग	148-00	204-00	30192-00
ईट एम० 150	1650 नं०	1690-00प्रति हजार	—	—
			योग	43709-50

उपर्युक्त से स्पष्ट था कि श्री खान द्वारा आदेश के मानक के अनुसार सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई थी इससे स्पष्ट था सी०सी० सड़क के निर्माण का कार्य प्राधिकरण द्वारा ही कराया अतः उपर्युक्त आपूर्ति सामग्री के अवशेष की पुष्टि स्टाक पंजिका से कराई जाये । इसके अतिरिक्त अनुबन्ध के अनुसार आपूर्ति न किये जाने पर कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाये ।

(6) पत्रावली नो०/हरि०/2003/2000-2001 गुरुमण्डलाश्रम में रू० 80713-00 कम लिया जाने के सम्बन्ध में :- पत्रावली नो०हरि०/2003/2000-2001 गुरुमण्डलाश्रम के अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली के पुष्ठ सं० 6 पर शमन शुल्क की गणना क्रमशः- 6

(6)

रुपये 237711-00 की गई थी किन्तु वाद में इसे संशोधित करते हुए रू0 156998 दिया गया था इससे रू0 80713-00 की धनराशि जिसका विवरण निम्नवत है किया गया था अतः भू-स्वामी द्वारा रसीद संख्या 401/38 दिनांक 25-11-2004 156998-00 जमा किया गया था ।

शमन विवरण	प्रथम आकलित धनराशि	संशोधित एरिया	धनराशि
बिना स्वीकृति निर्माण 264,30 वर्गमीटर	30,000-00	236,41 वर्गमीटर	25,000-00
एफ0एस0बी0 11,86X400+7800	189760-00	7,26	116160-00
विकासशुल्क 276,16 वर्गमी0	16570-00	243,67	14620-00
पर्यवेक्षण शुल्क	1381-00	243.67	1218-00
योग	237711-00		156998-00

उपर्युक्त से स्पष्ट अवर अभियन्ता द्वारा रू0 237711-00 का आकलन कि दूसरे अवर अभियन्ताद्वारा रू0 156998-00 की शमन शुल्क की गणना की गई में स्थिति स्पष्ट की जाय कि दोनो अवर अभियन्ताओं की गणना में विभेद का था तथा दूसरे अभियन्ता द्वारा रू0 156998-00 की धनराशि को किस आधार किया गया ।

(7) वेदमाता गायत्री ट्रस्ट भूपतवाला ले आउट को निरस्त किया जाना:- वेद ट्रस्ट भूपतवाला से सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि शमन गणना निम्न प्रकार की गई थी तथा पूर्व जमा की गई धनराशि को कम कर 1974313-00 रसीद संख्या 401/13 दिनांक 9-11-2004 द्वारा प्राधिकरण को भेजा गई थी ।

1- विकास शुल्क 16400 वर्ग मी0 रू0 100-00 प्रति वर्ग मी0	1640000-00
2- पर्यवेक्षण शुल्क 14599,66	72998-00
3- सब डिवीजनल शुल्क 16400/वर्ग मी0 रू0 400/प्रतिवर्ग मी0 की दर से	656000-00
4- पत्रावली पुनः अवधारित रू0 3000-00 का 30% अन्य शुल्क	900-00 35-00
योग	2369933-00

पूर्व में जमा रसीद संख्या 401/13 दिनांक 9-11-2004 द्वारा जमा पत्रावली के वाये पृष्ठ संख्या 16 पर कार्यालय की आख्या प्रस्तर 1 जिसे पूर्व में स्वीकृत ले आउट को निरस्त कर दिया गया था । जिसके प्रार्थी द्वारा पत्र प्रस्तुत किया गया था पूर्व स्वीकृत ले आउट को निरस्त किये गये औचित्य किया जाये ।

(8) श्रीमती चन्द्र कला पत्नी श्री मनोहर लाल भूपतवाला से सब डिवी रुपये 1344-00 कम लिया जाना:- पत्रावली 160/04-05 पुराना एवं नया नम्बर चन्द्र कला की भवन निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ पत्र के अनुसार भूमि क्रय मूल्य रुपये 2956-00 प्रति वर्ग मीटर था ।

जबकि रुपये 2700-00 प्रति वर्ग मीटर की दर से 525 वर्ग मीटर के लिये दिखाया गया था। तथा सब डिवीजनल शुल्क रुपये 14175-00 लिया गया था।

विवरण	लिया गया शुल्क	देय शुल्क	अन्तर
- विकास शुल्क	52500-00	52500-00	---
- पर्यवेक्षण शुल्क	2743-00	2743-00	---
- सब डिवीजनल शुल्क	14175-00	15519-00	1344-00
- रीओपेन शुल्क पत्रावली	3000-00	3000-00	---
योग-	72418-00	73762-00	1344-00

अतः उपरोक्त से स्पष्ट था कि सब डिवीजनल शुल्क रुपये 1344-00 कम लिया गया था जिसे जमा कराया जाये।

**(9) श्री विजय कुमार कोहली लक्ष्मण झूला पत्रावली संख्या 76/2001-02**

पत्रावली संख्या 76/2001-2002 श्री विजय कुमार कोहली लक्ष्मण झूला एनकलेब दीनाथ मार्ग तपोवन मुनि की रेती के अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली के दाये पृष्ठ पर तत्कालीन अवर अभियन्ता की आख्या दिनांक 29.4.2002 के अनुसार प्रश्न गत स्थल निरीक्षण पर पाया गया कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या 85/98-99 व स्वैच्छिक शमन मानचित्र की समीक्षा करने पर देखा गया कि मानचित्र के विपरीत स्थल पर टाइप-3 के तीन शक का निर्माण किया गया था तथा स्वैच्छिक शमन मानचित्र में गृह स्वामी द्वारा टाइप-2 शक तक शमन कराया गया था टाइप -3 के बेसमेन्ट में प्रस्ताविक पार्किंग स्थल भी नहीं छोड़ा गया था उपर्युक्त से स्पष्ट था कि किया गया निर्माण कार्य अनियमित था। पत्रावली शपथ पत्र के अवलोकन से विदित हुआ कि गृह स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अशमनीय भाग को मेरे ध्वस्त करके सूचित कर दिया जायेगा किन्तु इस सम्बन्ध में प्राधिकरण कार्यालय को कोई सूचना न तो गृह स्वामी द्वारा दी गई थी न ही प्राधिकरण द्वारा ही इस बात की जानकारी प्राप्त की गई कि गृह स्वामी द्वारा शपथ पत्र में दिये गये शब्दों का पालन किया गया है अथवा नही वस्तु स्थिति को शपथ पत्र के परिणाम से अवगत कराया जाये।

**(10) पत्रावली नोहरि/225/2003-04 श्री धर्मवीर सत्यम विहार भूपतवाला:-**

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि पूर्व स्वीकृत भवन मानचित्र 102/2001-2002 नगर नियोजक हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा जिसे दिनांक 10.8.2001 द्वारा स्वीकृत किया गया था किन्तु भवन स्वामी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किये जाने पर निर्माण शमनीय हो गया था इस मानचित्र की स्थिति के अनुसार प्लॉट एरिया 167.17 वर्ग मीटर था तथा मानचित्र में सर्व श्री धर्मवीर, राजेश, मनोज एवं परमानन्द के नाम थे किन्तु शमन हेतु प्रस्तुत किये मानचित्र में प्लॉट एरिया 250.75 वर्ग मीटर था तथा शमन शुल्क रुपये 70570-00 का आंकलन किया गया था जिसे रसीद संख्या 400/11 दिनांक 5.10.2004 द्वारा जमा कर दिया गया था मानचित्र स्वीकृत करते समय यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि जो सीढ़ी प्रस्तावित की गई है वह सीढ़ी भवन के पीछे की तरफ बनाया जाना अनिवार्य होगा।



प्राधिकरण कार्यालय के पत्रांक संख्या 4786/नो0हरि0/225/2005  
 मार्च, 2005 जो अशमनीय भाग को ध्वस्त किये जाने से सम्बन्धित था भवन  
 करते हुए सूचित किया गया था कि उत्तरांचल उत्तर प्रदेश नगर योज  
 अधिनियम 1973 की धारा 27/28 के अन्तर्गत आप द्वारा अशमनीय भाग  
 किया गया है। आगामी कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार तथा क्या  
 से स्पष्ट थी।

**(11) अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पेयजल संशाधन**  
 3060000-00

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ अधिशासी अभियन्ता  
 पेयजल को रुपये 3060000-00 का भुगतान दिनांक 30.11.2004 द्वारा किया  
 पेयजल का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था यह स्थिति सन्तोष  
 सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही लेते हुए कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा के आ  
 अवगत कराया जाये।

**(12) श्री सदानन्द जोशी की अधिवर्षता आयु पर नियुक्ति**  
 हरिद्वार प्राधिकरण के कार्यालय पत्रांक संख्या 341/प्रशा0 1(ग)-46/20  
 27.5.2004 द्वारा श्री सदानन्द जोशी को वाहन चालक के पद पर दिनांक  
 नियुक्त किया गया था सेवा पुस्तिका के अवलोकन से विदित हुआ कि इनका  
 अप्रैल 1948 थी स्पष्ट था कि निर्धारित आयु सीमा से अधिक पर नियुक्ति  
 अनियमित था इस स्तर पर शासन से छूट प्राप्त किये जाने हेतु कोई का  
 गई। अब शासन से छूट प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कृत परि  
 सम्परीक्षा में अवगत कराया जाये।

**(13) कर्मचारी भविष्य निधि से सम्बन्धित लेजर खाते अनुरक्षित न**  
 सम्परीक्षा के समय देखा गया कि कर्मचारियों के वेतन से की जा  
 निधि से सम्बन्धित लेजर खाते अनुरक्षित नहीं किये गये थे जिससे वेत  
 कटौतियों की वाछित पृविष्ठियों का सत्यापन उनके लेजर खाते से नहीं  
 इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2005 को कर्मचारियों के खातों में कितनी धनराशि  
 भी सत्यापन नहीं किया जा सका लेजर खाते अनुरक्षित करते हुए वस्तु नि  
 कराया जाये।

**(14) देय किश्तों को विलम्ब से भुगतान किये जाने पर ब्याज गणना न**  
 सम्परीक्षा के समय देखा गया कि गृह स्वामियों द्वारा भवन प्लाट से स  
 का भुगतान निर्धारित तिथि पर नहीं किया जाता था जिसके लिये विलम्ब  
 किन्तु प्राधिकरण द्वारा मूल धन की धनराशि तो जमा करा ली जाती थी कि  
 धनराशि अन्तिम किश्त भुगतान करते समय आकलित की जाती थी यह स्थिति  
 थी देय विलम्ब दण्ड की धनराशि को तत्काल ही मूल धनराशि की किश्त के  
 जमा की जाय।

**(15) अस्वीकृत मानचित्र:-** सम्परीक्षा के समय देखा गया कि निम्नलिखित मान  
 किये गये इन मानचित्रों को कब स्वीकृत किया गया स्थिति अज्ञात रही इ  
 मानचित्र पंजिका में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरों का अभाव था।

गृह स्वामी का नाम	पंजिका की क्रम संख्या	मानचित्र प्रस्तुत करने की तिथि	अस्वीकृत तिथि
श्रीमती नौबेदेवी पेटवाल	85/04-05	13.10.2004	20.12.2004
श्री रमेश कुमार कक्कड	86/04	13.10.2004	11.11.2004
श्री फतेहसिंह	87/04-05	5.10.2004	15.12.2004
मेसर्स हजशनइजर	88/04-05	26.10.2004	15.12.2004
श्री श्रीकृष्णाचन्द्र	89/04-05	5.11.2004	27.12.2004
श्री सुभाषचन्द्र सोधी	94/04-05	5.11.2004	27.12.2004
श्रीमती कुसुमलता गुप्ता	95/04-05	8.11.2004	27.12.2004
श्री राजेकुमार लाम्बा	96/04-05	18.11.2004	27.12.2004

2- लेख के परफॉर्मन्स के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दु :- कोई नहीं

3- वित्तीय स्थिति :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत किये गये लेखा अभिलेखों के आधार पर जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका आलोच्य अवधि में संस्था के लेखे की वित्तीय स्थिति निम्नवत् थी :-

विवरण	घनराशि
1	2
1 अप्रैल, 2004 को प्रारम्भिक अवशेष	137305558-70
वर्ष की आय	126687704-75
योग:-	263993263-45
वर्ष का व्यय	199512901-00
31 मार्च 2005 को इतिशेष	64480362-45(क)
31 मार्च 2005 को बैंक खातों में अवशेष	
(1) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया हरिद्वार खाता संख्या 8000	335918-84
(2) पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार खाता संख्या 57382	14134490-26
(3) पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 5740	2139584-50
(4) स्टेट बैंक आफ इण्डिया हरिद्वार खाता संख्या 11137	734172-90
(5) स्टेट बैंक आफ इण्डिया रोशनाबाद खाता संख्या 70725	213235-48
(6) ओवीसी ऋषिकेश खाता संख्या 08	1584964-85
(7) ओवीसी खाता संख्या 386	296438-93
(8) पीएलए	1862056-72
(9) सिण्डिकेट बैंक खाता संख्या अज्ञात	336857-00
(10) नैनीताल बैंक खाता संख्या अज्ञात	277984-00
(11) सावधि जमा	45000000-00
31 मार्च 2005 बैंक पास बुकों के अनुसार अवशेष	66915703-48(ख)

क्रमशः-10

**टिप्पणी:-** (1) 'क' एवं 'ख' के अन्तरो को बैंक समाधान के माफ किया जाये ।

(2) क्रमांक 9 एवं 10 पर अंकित बैंक खातों की पास बुकें सम्पूर्ण अनुपलब्ध रही ।

(3) सावधि जमा धनराशियों के प्रमाण पत्रों 31 मार्च 2005 के पश्चात् करा लिया गया था जिसके कारण इनका भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका ।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी बैंक में खाता न होने की पुष्टि

(5) सस्था के आय-व्यय के वित्तीय आकड़ों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है ।

**4- विनियोजन:-** आलोच्य अवधि के अन्त में विनियोजित धनराशियाँ निम्नवत् थी:-

क्र०	विनियोजन का विवरण	विनियोजन की तिथि	परिपक्व तिथि	घ
1-	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया हरिद्वार सावधि जमा प्रमाण पत्र संख्या 676416/10 नवम्बर 2004	10.11.2004	10.11.2005	10
2-	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया हरिद्वार सावधि जमा रसीद संख्या 234618 दिनांक 24.12.2005	24.12.2004	1.4.2005	15
3-	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया हरिद्वार सावधि जमा रसीद संख्या 234617 दिनांक 24.12.2004	24.12.2004	1.4.2005	20
<b>योग:-</b>				45

**टिप्पणी:-** सस्था द्वारा पूर्व विनियोजन धनराशियों को बैंक भुना लेने के पश्चात् रूप से उपर्युक्त धनराशि विनियोजित की गई थी तथा आंशिक धनराशि को व्यय के प्रयोग में लाया गया था ।

(2) उपर्युक्त धनराशियाँ 31 मार्च 2005 तक विनियोजित थी जिसे की पश्चात् पुनर्विनियोजित नहीं किया गया था भुना लेने के फलस्वरूप इन धनराशियों के प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका ।

(3) विनियोजन पंजिका निर्धारित प्रारूप में नहीं थी अब निकट भविष्य प्रारूप में रखा जाये ।

**5- राजकीय अनुदान:-** आलोच्य अवधि में प्राप्त अनुदानों उनके 31 मार्च 2005 के अन्त में अवशेष की स्थिति का विवरण इस आख्या में संलग्न 'ग' 'घ' 'ड' में दिया गया है ।

(1) कुम्भ मेला - परिशिष्ट 'ग'

(2) आई0डी0एस0एम0टी0- परिशिष्ट 'घ'

(3) विधायक निधि - 'ड'

संलग्न परिशिष्ट 'घ' एवं 'ड.' में अंकित अवशेष धनराशियाँ लम्बी अवधि से चली रही थी जिन्हें या तो उपभोग किया जाये अथवा शासन को वापसी की कार्यवाही की जाये।

**टिप्पणी:-** अनुदान पंजिका सादे रजिस्टर में अनुरक्षित की गई थी इसे निर्धारित रूप में रखा जाये तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराके प्रस्तुत की जाये।

(2) संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित अनुदानों के अतिरिक्त अन्य कोई अनुदान आलोच्य अवधि में नहीं प्राप्त हुआ था इसकी पुष्टि की जाये। मदवार अनुदान उपभोग का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

**6- राजकीय/सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त ऋण:-** आलोच्य अवधि में संस्था द्वारा अनुदान विवरणानुसार सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त किया गया था:-

ऋण प्राप्त करने का स्रोत	ऋण का प्रयोजन	प्राप्ति तिथि	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक यापुर हरिद्वार	भूमि अध्यायित अधिकारी को भुगतान हेतु	23.3.2005	27500000-00
सेण्ट्रल बैंक आफ हिडया हरिद्वार	-----	24.3.2005	43100000-00
<b>योग:-</b>			<b>70600000-00</b>

**टिप्पणी:-** ऋण पंजिका अनुरक्षित नहीं की गई थी।

(2) ऋण लिये जाने हेतु आयुक्त की स्वीकृति नहीं दिखाई गई।

**7- देय सम्परीक्षा शुल्क:-** प्राधिकरण की आलोच्य अवधि की आय रुपये 6687704-75 पर शासनादेश के अन्तर्गत रुपये 380570-00 के सम्परीक्षा शुल्क की माँग प्राप्ति की गयी थी जिसमें आंशिक रूप से रुपये 234803-00 की धनराशि राजकोषागार शनाबाद में चालान संख्या 02 दिनांक 13.1.2006 द्वारा जमा किया गया था जिसका स्थापन अपेक्षित है शेष धनराशि को अविलम्ब राजकोषागार में निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा किये जाने हेतु प्राधिकरण अधिकारियों का ध्यान अपेक्षित है।

**निष्कर्ष:-** उपर्युक्त वर्णित मन्तव्यों तथा सम्परीक्षा आख्या के भाग तीन में निहित दो दो के अतिरिक्त संस्था के लेखे सन्तोष जनक थे। फिर भी पर्याप्त सुधार एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता थी।

दिनांक 01-3-2006

स्थान:- देहरादून

मन्त प्रसाद श्रीवास्तव

परिष्ठा लेखा परीक्षक ग्रेड प्रथम निर्गमार्थ प्राधिकृत

विवेक लेखा परीक्षक,  
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग

सहायक निदेशक,  
कोषागार एवं वित्त सेवायें,  
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग,  
देहरादून, उत्तरांचल।

306

परिषद के माध्यम से प्रस्तुत 3

स्था0 नि0 ले0 प्रपत्र संख्या-104

वर्ष 2004-05 में

नगरपालिका परिषद / जिला पंचायत / नगर पंचायत / इंटर कॉलेज हरिद्वार विकास प्राधिकरण के आय और व्यय की तालिका

क्र० सं०	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल 04 को प्रारम्भिक अवशेष	राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	वर्ष की आय							
				अनावर्तक राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय आय	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)	प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4(ग)	वर्ष में हुआ व्यय	— मार्च 2002 का अंतिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
	हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार	137305559	<del>860894405</del> 50598755/-	5488949/-	-	70600000	126687704	163993263/-	17951290/-	64480362/-	

29/5

44

परिधिष्ट २०११ आय का पत्र - 3

स्था० नि० ले० प्रपत्र संख्या-105

वर्ष 2004-05 में

हरिद्वार विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण  
(अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रमांक	आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संहत स्थिति		मन्तव्य
			कुल अनावर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4		5
1	शासन से प्राप्त अनुदान के प्रयोजन :- (क) शिक्षा (ख) चिकित्सा (ग) जन-स्वास्थ्य (घ) सड़क (ङ) अन्य निर्दिष्ट प्रयोजन (च) सामान्य प्रयोजन (छ) नगरपालिका/जिला परिषद/अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लगाये गये अर्थ-दण्ड के बदले (ज) नगरपालिका/जिला परिषद/अधिरूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रशासित नौका घाटों से प्राप्त आय के समतुल्य (झ) अन्य प्रयोजन (ञ) जिला परिषदों के सम्बन्ध में स्थानीय उप-शुल्कों के समतुल्य (ट) _____	विकास कार्य अड्डे कुम्भ मेला 5488949/-		5488949/-	
2	शासन से प्राप्त ऋण				
3	खुले बाजार से लिये गये ऋण				
	योग	70600000/-	70600000/-	5488949/-	
		70688949/-	70600000/-	5488949/-	

विवरण	आयोजित कार्य	आयोजित कार्य	व्यय	आय	योग	शेष
	3521000	30969=	—	30969/=	—	30969/=
	2658000	725493=	—	725493/=	628972/=	47021/=
	136000	25495=	—	25495/=	—	25495
	364000	21393/=	—	21393/=	21393/=	—
	699000	363462/=	—	363462/=	87383/=	276077/=
	76000	17980/=	156000	17980/=	92289/=	81691/=
	80000	25553/=	—	25553/=	—	25553/=
	444000	371602/=	—	371602/=	276093/=	95509/=
	751000	46243/=	369000	415243/=	357691/=	57552/=
	1028000	1028000	—	1028000	591122/=	436878/=
	2197000	739364/=	—	739364/=	606618/=	132746/=
	6898000	6898000	148000	7046000	4375137/=	2670868/=
	8550000	1333565/=	10,00,000	2333565/=	2128627/=	204938/=
	1988000	1988000	—	1988000	25174/=	1962826/=
	64000	64000	—	64000	58974/=	5026/=
	1777000	1777000	300000	2077000	38417/=	2038583/=
	216000	216000	—	216000	137330/=	78670
	1977000	1977000	200000	2177000	1129762/=	1047238
	100000	100000	—	100000	94165/=	5835
	61000	61000	—	61000	54336/=	6664
	537000	537000	—	537000	412373	124627
	237000	237000	195000	432000	294539	137470
	337000	337000	—	337000	290475	46525
	796000	796000	—	796000	587328	208672

योग आगे के शेष  
 1966629/=  
 2368000/=  
 22034629/=  
 12338184/=  
 9696445/=  
 305

		19 66629	2368000/-	22034629/-	12338109
<b>विद्युत योजना योग लागे</b>					
25	समूह रोड से शुरुआत आगमन के करार सड़को का निर्माण	469000/-	469000/-	-	469000/-
26	हरिपुर कला में गली नं. 5 के पास की 4 गली का निर्माण	500000/-	500000/-	-	500000/-
27	हरिपुर कला में गली नं. 5 में एक ब्याज लाइन	110000/-	110000/-	-	110000/-
28	योग टारिफ मार्ग का निर्माण	2453000/-	2453000/-	-	2453000/-
29	गोला बुंदे से सड़क निर्माण	644000/-	644000/-	-	644000/-
30	नेलिधारा में चीला से चण्डिपुर तक स्वीडियो को सम्मिलित	328000/-	328000/-	-	328000/-
31	सायुसदन में सी. सी. कार्य	99000/-	99000/-	-	99000/-
32	रेडिओ बाला में टुप्यरुड से गस के पुटपारा एवं रेडिंग में पोप्य	20000/-	20000/-	-	20000/-
33	बैरामी कैम्प टिपि में अना अलगा की ओर जाने वाली सड़क पर (बैरामी)	314000/-	314000/-	-	314000/-
34	वीपल बाकी गली रूपत बाका में गली निर्माण	814000/-	814000/-	200000/-	1014000/-
35	गठवर्ष 2004 के अर्द्धवर्ष का लक्ष्य विभिन्न कार्यों से संवर्धित	1862000/-	1862000/-	-	1862000/-
36	बौरी बाका से नजीबाबाद मार्ग निर्माण	1832000/-	-	1832000/-	1832000/-
37	वेणवाका से वेणवाप क्षेत्र में विद्युत भरती एवं ट्रेडिंग कार्य तथा अर्द्धवर्ष में क्षेत्रान्तर्गत फागडा डीप चण्डिपुर पन्नादीप बाईपास रोड पर आदि के जे सी की द्वारा रोडरोलर द्वारा ट्रेडिंग एवं अर्थिकता	297000/-	-	297000/-	297000/-
38	अना निकेतन के सामने गंगा को जाने वाले रास्ते देणु सी. सी. मार्ग निर्माण	149000/-	-	149000/-	149000/-
39	हडिमाट पर कनेक्शन देणु आर्गेंट विद्युत लागे का कार्य	195000/-	-	195000/-	195000/-
40	भौत्रगोडा कुल की सफाई एवं सौन्दर्यकरण	59000/-	-	59000/-	59000/-
41	जखवापुण्ड से आगे 2.53 मीटर लम्बाई में स्थापित गंगा नहर के किनारे सौन्दर्यकरण	328000/-	-	328000/-	328000/-
42	मेला निबंधन भवन में लान विकसित काला एवं कृषापोषण कार्य	46083/2 14866/2	-	60949/2	60949/2
43	रेडिओ के अर्द्धवर्ष में सड़क के अन्त गंगा नहर की ओर विकास कार्य				
<b>कुल योग</b>			27279629/2	5488949/2	32768578/2

20806909  
232514  
205.1192



परिशिष्ट 'रा' आख्या का प्रखर-5

स्वा 0 नि 0 सं 0-66

46

304

वर्ष 2004-05 के अन्तर्गत सी.एस.डी. द्वारा अप्रत्यक्ष अनुदानों की तालिका

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की राशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारंभ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तगत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शासनादेश सं. 914/न० दि० 20/11/2002 - 13/02/2002 से सौ. प्रे. 2004	अनुदान प्रेक्षा 2004 के लिये विभिन्न विकास कार्य	100000000	-	1862000	-	1862000	1862000	-	
2	शासनादेश संख्या 2180/शा० दि०/अ 03/210 दि० 30/9/2003	सर्वीकरण से संबंधित सड़क निर्माण कार्य	3521000	29-11-2003	30969	-	30969	30969	30969	
3	शासनादेश सं. 177 दि० 1/2/2004 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी चेक संख्या	विभिन्न निर्माण कार्य विकास कार्य	6769000	31-3-2004	25386660	-	25386660	25386660	-	
	491/50	दि० 17-3-2004	4337000	8-3-2004	}	}	}	}	}	}
	494/6	7-3-2004	325000	16-3-2004						
	419/34	11-3-2004	5865000	8-3-2004						
	483/34	24-2-2004	835000	29-3-2004						
	2170/45	5-3-2004	10524000	8-2-2004						
	477/38	8-2-2004	530000	27-2-2004						
	483/01	27-2-2004	2000000	27-2-2004						
	483/6	27-2-2004	6537000	8-2-2004						
	483/47	5-3-2004	10000	8-3-2004						
4	चेक संख्या 22167	दि० 4-3-2004	1748000/-				1748000/-	1748000/-		
5	चेक संख्या 828954 एवं 955570	दि० 4-3-2004	1848000/-				1848000/-	1848000/-		
6	चेक संख्या 828667	दि० 4-3-2004	900000/-				900000/-	900000/-		
7	चेक संख्या 828668	दि० 4-3-2004	932000/-				932000/-	932000/-		
8	चेक संख्या 50 दि० 24/2/05	दि० 24-2-2005	46083/-				46083/-	46083/-		
9	चेक संख्या 223221 दि० 28/3/05	दि० 28-3-2005	14866/-				14866/-	14866/-		
					27279629	5488949/-	32768578	20806909	11961669	

के. सुन्दरं म. नरहलेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विभाग को प्रेषित।

राजकीय संख्या दिनांक

निदेशक

29/10 (46)

परिशिष्ट - 'घ' आख्या का प्रारम्भ 5

स्वा 0 लि 0 सं 0-66

वर्ष 2004-05 के अन्तर्गत हरितार विकास प्राधिकरण द्वारा अग्रमुक्त अनुदानों की तालिका

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की राशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तगत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	नोट्स
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आवास अनुभाग-1 के माओदेश संख्या आ-57/8आ-95-53 आइ.डी.एस.एस.सी/96 दिनांक 31-3-96	शेगाहिल विकास योजना	5300000/-	31-3-96						
2	आवास अनुभाग-1 के माओदेश संख्या आ-8-57-11/9आ-96-3 आइ.डी.एस.एस.सी/96 दिनांक 31-3-96	सर्कीहाल विकास योजना राजकोष	3533000/-	31-3-96	4857722/-		4857722/-		4857722/-	
3	आवास अनुभाग-1 के माओदेश संख्या आ-27/9-आ-1-97-6-आइ.डी.एस.एस.सी/97 दिनांक 29-3-97	शेगाहिल विकास योजना के माओदेश	1700000/-	9-2-98						
4	आवास अनुभाग के माओदेश संख्या आ-27 (11)/9-आ-1-97-6 आइ.डी.एस.एस.सी/97 दिनांक 29-3-97	स्वीकृत विकास योजना राजकोष	1133000							
5	आवास अनुभाग के माओदेश संख्या आ-27 (11)/9-आ-1-97-6 आइ.डी.एस.एस.सी/97 दिनांक 29-3-97	सौन्दर्य योजना के माओदेश	1100000	अज्ञात	102067/-		102067/-		102067/-	
6	लैंगिक	सार्वजनिक कार्य			55935/-		55935/-		55935/-	
	योग				5015724/-		5015724/-		5015724/-	

सूचक परिशिष्ट-3 साख्य सं. 10-5

स्था 0 नि 0 सं 0-66

वर्ष 2004-05 के अन्तर्गत श्री 02 दिनांक 31-12-2004 द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की तालिका विद्यार्थी नाले

303 (47)

क्र. सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की तिथि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तगत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय को गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आदेश सं. 1700/वि० यो० ले० दिनांक 22-11-2004	विभिन्न विकास कार्यों हेतु	1638000/-	31-12-2004	1000000/-	-	1000000/-	-	1000000	
2	आदेश सं. 1730/वि० यो० ले० दिनांक 6-12-2004	तदर्थ	1526000/-	31-12-2004	375000/-	-	375000/-	-	375000	
					1375000/-		1375000		1375000/-	

कृ. चन्दन म नहालेखाकार, उत्तर प्रदेश, झांझाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विभाग को प्रेषित।

राजकीय संख्या दिनांक

निदेशक,

29/1

निदेशक कोषागार स्व वित्त सेवाये सब स्टेट इन्टरनल क्वाडिट  
उत्तरींचल देहराडून

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग हरिद्वार

सम्परीक्षा आख्या भाग तीन

सेवा का नाम :- हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार

सम्परीक्षा अवधि 2004-05

<p>मानचित्र स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र से सम्बन्धित पंजिका के सत्यापन का अभाव</p>	}	<p>हरिद्वार शहर में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति मानचित्रों के लिये किपी सशम अधिकारों उपाध्यक्ष/सचिव के</p>
--	---	--

हस्ताक्षरों को नहीं कराया गया था इसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

आलोच्य अवधि में कितने मानचित्र स्वीकृत हेतु प्राप्त किये गये कितने स्वीकृत तथा कितने अस्वीकृत थे की स्थिति से अबगत नहीं कराया गया।

<p>महेश्वरीना पत्रावली नं० ७ हरि०/२१० २००३०५ अध्यक्ष सुखदाम चैत्री देवल इस्ट सोलाद वी गोड्डल निरम भूपतवाला</p>	}	<p>पाइबलिश वाप हे सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि स्वीकृत मानचित्र १०५/२००३०५ के लिए शमन शमना सं० १७५७२०१ - बी</p>
--	---	---

गई थी तथा स्वीड संख्या ५०१/५ दिनांक १-११-२००५.

द्वारा रु 175 720/- अन्त किण्व गणना था।  
 ग्रामन इस शर्त के साथ किण्व गणना था कि अन्तर्गत  
 भाग को 15 दिन के अन्दर देवस्य कर दिया जायेगा  
 यह खासो द्वारा देवस्य विप्रे जाने हेतु अपना  
 व्ययपत्र दिनांक 7-11-2004 को प्रस्तुत किया गया  
 कि देवस्य की खयना यह खासो को खप देनी थी।  
 फिन्तु न तो यह खासो द्वारा खयना दी गई  
 और न ही प्राधिकार के अवर अभिप्रेता/अपर अभि  
 की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई बल्कि किसी  
 से अवगत कराया जाये।

दिनांक 16/11/2004  
 रक्षान देहराडून

अनन्त प्रसाद श्रीवास्तव  
 सहायक लेखा परीक्षक (अधीनस्थ) कोटागार एवं वित्त सेवा  
 रक्षानोय निधि लेखा परीक्षक  
 देहराडून

(Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through or a second page of notes)